



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127123

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 11369 वर्ष 2026

महेंद्र उर्फ महेश

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : जे शुभम, जितेन्द्र कुमार मिश्रा

विपक्षी के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 7

माननीय जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री श्रवण कुमार ओझा को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वर्तमान प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से पुलिस थाना मऊदरवाजा, जिला फर्रुखाबाद में मु.अ.सं. (मुकदमा अपराध संख्या) 62 वर्ष 2018 से उत्पन्न एस.एस.टी. संख्या 149 वर्ष 2019, भारतीय दंड संहिता की धारा 395 और 397 के तहत विचारण के लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है, जिसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं किया गया था और विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा उसे आरोपी बनाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत प्रथम सूचनाकर्ता के बयान में, आवेदक के नाम का खुलासा किया गया था। आवेदक के खिलाफ कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। यह तर्क दिया गया है अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि आवेदक के सह-आरोपी अर्थात् रमेश उर्फ राजू और विनोद उर्फ छोटू को इस न्यायालय की समान अधिकारिता वाली पीठ द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 945 वर्ष 2023 और संख्या 25825 वर्ष 2024 में पारित आदेशों दिनांक 10.02.2023 और 26.07.2024 (वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र का अनुलग्नक संख्या 6) के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है, और आवेदक का मामला उनसे भी बेहतर स्थिति में है क्योंकि सह-आरोपी रमेश उर्फ राजू के कब्जे से कुछ लूटा गया सामान बरामद किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के 18 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे आवेदक की ओर से दाखिल पूरक शपथ पत्र दिनांक 11.06.2026 के पैरा '2' में विधिवत स्पष्ट किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, आवेदक 04.02.2018 से यानी आठ वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि यदि आवेदक को समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए.-प्रथम श्री श्रवण कुमार ओझा ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं था, फिर भी विवेचना के दौरान उसकी संलिप्तता सामने आई और उसके खिलाफ पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई है। विद्वान ए.जी.ए. आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक एक आदतन अपराधी है जिसके 18 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जो आपराधिक गतिविधियों में उसकी निरंतर संलिप्तता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आपराधिक मामलों का मात्र स्पष्टीकरण ऐसे आपराधिक इतिहास की गंभीरता को कम नहीं करता है। आवेदक उन सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता है जो आपराधिक इतिहास के संबंध में समान स्थिति में नहीं हैं। विद्वान ए.जी.ए. ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक के लंबे आपराधिक इतिहास पर विचार करते हुए, यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, आवेदक केवल समानता या लंबी कैद के आधार पर जमानत की राहत का हकदार नहीं है। तदनुसार, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रार्थना की है कि जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले की पत्रावली का अवलोकन किया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, यह प्रतीत होता है कि पत्रावली पर आवेदक के खिलाफ कोई अन्य साक्ष्य नहीं है और आवेदक 04.02.2018 से अर्थात् आठ वर्षों से

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिक समय से जेल में है और सह-आरोपियों को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र में आवेदक के आपराधिक इतिहास को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त मामले में आवेदक-महेंद्र उर्फ महेश को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दी गई हो, आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियां जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

जून 12, 2026

बृजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।